2

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

/2021 रजू दिनांक 12.02.2021

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

रामू पुत्र गोरधन गूर्जर निवासी गढी मोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
तहसीलदार टोडाभीम पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः– 15/5/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गढी
माबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 33 की आराजी ख0न0 252/0.15, 253/0.
4/0.21, 494/0.17, 495/0.17, 496/0.18, 497/0.33, 498/0.33, 499/0.33,
.06, 524/0.06 527/0.06, 525/0.07, 526/0.06, कुल किता 13 कुल रकवा 2.28
माबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32 की आराजी ख0न0 248/0.11, 249/0.
50/0.18, 251/0.05, 252/4713/0.02, 253/4714/0.02, 254/4715/0.02,
4716/0.02, कुल किता 8 कुल रकवा 0.56 है0, एवं जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के
संख्या 181 की आराजी ख0न0 1675/2.18 है0 मे प्रार्थी के पिता गोरधन के कब्जे
की खातेदारी रही है। उक्त आराजीयात साबिक ख0न0 248, 249, 250, 494, 495,
497, 498, 499, 523, 524, 525, 1665, 252/4713, 253/4714, 254/4715,
4716 से बने है। सायलान के पिता गोरधन का नाम जमाबन्दी सम्वत 2011–14 मे दर्ज
के वाद प्रार्थी सायल व धमण्डी, प्रभू, श्रीफल के नाम जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 मे
का नाम रामू अंकित है किन्तु राजस्व कर्मियो की भूल के कारण सहंवन से सम्वत 2019
2 की जमाबन्दी मे प्रार्थी के नाम रामू के स्थान पर राजू दर्ज कर दिया है। जो गलत
से दुरूस्त कर राजू के स्थान पर रामू नाम अंकन किया जाना जरूरी है।

प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात मे आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार कार्ड व
क नामावली मे प्रार्थी का नाम रामू पुत्र गोरधन ही दर्ज है। प्रार्थी अशिक्षित है प्रार्थी ने
12.7.20 को के0सी0सी0 कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी नकल निकलवाई तो पता चला
र्थी का नाम हाल जमाबन्दी मे रामू के स्थान पर राजू दर्ज कर दिया है। जो गलत है।
का नाम हाल जमाबन्दी मे राजू के नाम को हजफ कर रामू अंकित करवाने का प्रार्थना
हसीलदारजी को पेश किया तथा प्रार्थी ने समस्त रिकार्ड की नकल निकलवाई परन्तु
तहसीलदार साहब ने कहा कि सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ इसलिये प्रार्थी
है प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

3

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट पेश कर अर्ज है कि ग्राम स्थित आराजी ख0न0 252/0.15, 253/0.16, 254/0.21, 494/0.17, 495/0.17, /0.18, 497/0.33, 498/0.33, 499/0.33, 523/0.06, 524/0.06 527/0.06, 525/0. 526/0.06, 248/0.11, 249/0.14, 250/0.18, 251/0.05, 252/4713/0.02, /4714/0.02, 254/4715/0.02, 494/4716/0.02, 1675/2.18 मे प्रार्थी का नाम पुत्र गोरधन को हजफ कर रामू पुत्र गोरधन जाति गूर्जर सा.देह अंकन करवाने के आदेश माया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर को रिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार पैरोकार सरकार ने जबाब पेश किया ग्राम गढी की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मे खाता संख्या 33 कुल किता 13 कुल रकवा है0, खाता संख्या 32 किता 8 कुल रकवा 0.56 है0, खाता संख्या 181 किता 1 रकवा 2. है0 मे प्रार्थी का नाम राजू पुत्र गोरधन दर्ज रिकार्ड है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे के पिता के फौत होने पर विरासत के नामांतकरण से आया है जमाबन्दी सम्वत 5–18 के खाता संख्या 78, 79 पर प्रार्थी का नाम रामू पुत्र गोरधन दर्ज रिकार्ड है। लेकिन चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019–22 को बनाते समय लेखनीय भूलवश से खाता संख्या पर राजू पुत्र गोरधन दर्ज हो गया। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक नम्बरो से खसरा नम्बर बनाये गये है। साबिक रिकार्ड के आधार पर राजू पुत्र गोरधन के स्थान रामू पुत्र गोरधन किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे बिन्दुओ का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम गढी स्थित आराजीयात मे प्रार्थी नाम साबिक रिकार्ड के अनुसार राजू पुत्र गोरधन के स्थान पर रामू पुत्र गोरधन किया है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का लोकन किया। ग्राम जहानगर मोरडा जमाबन्दी सम्वत 2015–18 के खाता संख्या 78 के न0 116 रकवा 5 बीधा 6 बिस्वा, 1525 रकवा 1 बीधा की खातेदारी धमण्डी, प्रभू, रामू, फल पि0 गोरधन जाति गूर्जर हि.ब. के नाम दर्ज है। एवं खाता संख्या 79 के ख0न0 118 वा 2 बीधा 11 बिस्वा, की खातेदारी धमण्डी, प्रभू, रामू, श्रीफल पि0 गोरधन, हिस्सा 1/3, न्या, कान्ति पि0 धाधू हिस्सा 2/3 जाति गूर्जर सा.देह. के नाम दर्ज है। जमाबन्दी चौसाला 19–22 तैयार करते समय रामू के स्थान पर राजू अंकित कर दिया। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 43–62 ग्राम गढी के साबिक ख0न0 118 मिन. रकवा 2 बीधा 11 बिस्वा से नवीन ख0न0 48/0.11, 249/0.14, 250/0.18, 251/0.05, 252/4713/0.02, 253/4714/0.02, 54/4715/0.02, 494/4716/0.02 तथा साबिक ख0न0 117 मिन. 3 बीधा 17 बिस्वा से नवीन ख0न0 215/0.05, 252/0.15, 253/0.16, 254/0.21, 494/0.17 एवं साबिक 0न0 116 मिन. रकवा 5 बीधा 6 बिस्वा से नवीन ख0न0 495/0.17, 496/0.18, 497/0. 3, 498/0.33, 499/0.33, एवं साबिक ख0न0 1525 मिन. रकवा 1 बीधा से नवीन ख0न0 23/0.06, 524/0.06, 525/0.07, 526/0.06 बने है। नवीन ख0न0 1675 रकवा 3.53 है0 साबिक ख0न0 114 मिन. 117 मिन., 118 मिन. 120 मिन., 121 मिन, 130मिन., 139मिन., 40मिन., 147मिन., 148मिन., 150मिन., 154मिन., 155मिन., 160मिन., 161मिन., 170मिन., 73मिन., 176मिन., 177मिन., 221मिन., 222मिन., 223मिन., 225मिन., 228मिन., 229मिन., 48मिन., 253मिन., 255मिन., 256मिन., 257मिन., 258मिन., 315मिन., 316मिन., 324मिन.,

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

4

न., 326मिन., 327मिन., एवं 307 रकवा 11 बिस्वा से बना है। ग्राम मोरडा से नवीन
के ग्राम गढी बनाया गया है। ग्राम गढी की हाल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता
ा 33 की आराजी ख0न0 252/0.15, 253/0.16, 254/0.21, 494/0.17, 495/0.17,
/0.18, 497/0.33, 498/0.33, 499/0.33, 523/0.06, 524/0.06 527/0.06, 525/0.
526/0.06, कुल किता 13 कुल रकवा 2.28 है0, जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता
ा 32 की आराजी ख0न0 248/0.11, 249/0.14, 250/0.18, 251/0.05,
/4713/0.02, 253/4714/0.02, 254/4715/0.02, 494/4716/0.02, कुल किता 8
रकवा 0.56 है0, एवं जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 181 की आराजी ख0न0
5/2.18 है0 बने है। जिनमे राजू पुत्र गोरधन नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात
न निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र आर.जे. 11/088/249155, राशन कार्ड क्रमांक 00009,
ार कार्ड न0 9672 7337 4479 मे रामू पुत्र गोरधन दर्ज है। नवीन जमाबन्दी चौसाला
त 2019–22 तैयार करते समय रामू के स्थान पर राजू दर्ज किया गया है। तहसीलदार
ड होल्डर ने भी नवीन जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय रामू के स्थान पर राजू दर्ज
ा जाना स्वीकार किया है तथा जिसे दरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है। उक्त विवेचन
अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर
ा गढी की हाल जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता संख्या 32, 33, 181 मे दर्ज नाम राजू
गोरधन के स्थान पर रामू पुत्र गोरधन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। आदेश की
लना हेतु तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.21 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

15/4/21

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0